

अनुसूची 14- फार्म सं 562

## आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ..... ता 0 ..... से ..... तक

जिला -

केस का प्रकार- विविध वाद संख्या 3/2021-22

| आदेश और तिथि | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर   | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी ता 0 सहित |
|--------------|--|--|
| 10/07/21     | <p>W.P.(c) No. 1923/2020 श्रेय कुमार बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य के आलोक में मौजा सुगनू के खाता संख्या 187 प्लॉट संख्या 3495 रकबा 12.00 एकड़ भूमि आर.एस. खतियान में गैरमजरूआ मालिक एवं किस्म जमीन "जंगल झाड़ी" दर्ज है। प्रश्नगत भूमि का लगान रसीद निर्गत करने का आग्रह किया गया है।</p> <p>राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन की माँग करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक 16/07/21 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">अंचल निरीक्षक<br/>कोलकाता, राँची।<br/>10/07/21</p>  |  |
| 16/07/21     | <p>अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा सुगनू के खाता संख्या 187 प्लॉट संख्या 3495 रकबा 39.00 एकड़ भूमि आर.एस. खतियान में गैरमजरूआ मालिक किस्म "जंगल झाड़ी" दर्ज है।</p> <p>पंजी 11 के 125/2 में रैयत अशोक कुमार सिंह पिता- मंगल सिंह के नाम से दर्ज जमाबंदी के परिवर्तन के लिए प्राधिकार कॉलम में "वाद संख्या 16/99 T.R.10R15/2001-2002 उपायुक्त, राँची के आदेश दिनांक 03-06-2002 के आधार पर उक्त जमाबंदी को रद्द करते हुए झारखण्ड सरकार का नाम इन्द्राज किया गया" दर्ज है। चूंकि आवेदक की जमाबंदी उपायुक्त, राँची के आदेश द्वारा रद्द किया गया है। आवेदक के आवेदन को खारिज करने की अनुशंसा की गई है।</p> <p>अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आलोक में आवेदन को खारिज किया जाता है। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">अंचल अधिकारी<br/>कोलकाता, राँची।<br/>16/07/21</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी<br/>कोलकाता, राँची।<br/>16/07/21</p> |  |

1. धर्मार्थ, अथवा अधिकारी  
कोके, एंव।

विषय:- W.P.(C) NO-1923 of 2020 (श्रीम सुभाष काका का एवम  
सुलका एवं अन्य के ऑफ परितेक्षण)

गएवम,  
अन्य विषय के सुकेंच के एवएव देखापेमा के गिवाग  
गिमा, ऑफ परितेक्षण गिवागत है:-

आवेदक श्रीम सुभाष (के W.P.(C) NO-1923 of

2020 अथवा का गैला-सुगु के एवम सुं- 187 एवम सुं- 3495  
(कोका- 12 एवम का एवम (सिद गिगत कोके का आगएवमिमा गमा)  
है। अन्य के अलोके के ऑफोपएवम काकि गैला-सुगु के  
(एवम सुं- 187 एवम सुं- 3495 (कोका- 12 एवम सुं- 3495 एवम सुं-  
आ. एव. एवमिमा के गैलाएवम गैलाएवम एवं गिवाग गगिग-  
'अंश कादी' इव है। आवेदक की एव पेजी ए के -125/2 के एवम-  
गैलाएवमिमा अशोक सुभाष (सिद गिवा- गैलाएवमिमा के गग सुं इव  
अगाकेदी के परिवर्तन के लिए पाधिकार कोका के " वाद सुं- 16/  
95 T. R. 10 R 15/2000-2001 उपायुक्त एंव के आदेश गिवाक- 8/एव/  
2000 के आया एव अंत गगाकेदी को एव करते हुए का एवम  
सुलका का गग इग्राज गिमा गमा " इव है।

चुंकी आवेदक की गगाकेदी उपायुक्त एंव के  
आदेश एव एव गिमा गमा है। अतः आवेदक को एव गिगत  
गदी को आ सुवाती है एवं आवेदक एव गिवा की आ सुवाती है।

1.21  
4  
17/21

16/7/2020  
13/11/20  
Babi  
(एवम गिमा)

न्यायालय:- अंचल अधिकारी, काँके, राँची।

नोटिस

श्री श्रेय कुमार  
पिता स्व० अशोक कुमार सिंह  
पता - सुखदेव नगर, इन्द्रपुरी,  
रातु रोड, राँची।  
मो०- 7079209827

बजारिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि गौजा- सुगनू, खाता सं०- 187, प्लॉट सं०- 3495, रकबा- 12 एकड़ भूमि आर०एस० खतियान में गैरमजरूआ मालिक किस्म जंगल झाड़ी दर्ज है। WP(c) NO.- 1923/2020 श्रेय कुमार बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए आदेश पारित करने का निर्देश प्राप्त है।

अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 14/09/21 को उक्त भूमि के दावा संबंधी कागजात के साथ स्वयं अथवा प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधोहरताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। जिससे की माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश का अनुपालन किया जा सके।

अंचल अधिकारी  
काँके, राँची।  
14/09/21